संख्या- 31/2026/I/1236704/2026-68-5099/476/2025

प्रेषक,

सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 सामान्य (वेतन) में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष संगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-समग्र शिक्षा/ वित्त-बजट/8133/2025-26, दिनांक 21-01-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-'2202-01-789-89-8901-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद से धनराशि रू0 4000.00 लाख स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/ अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्ष-'2202-01-789-89-8901-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 31-10-2025 द्वारा निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-'2202-01-789-89-8901-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 41131.42 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में राज्यांश की धनराशि **रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य एवं प्रयोजन हेतु व्यय करेंगे जिस कार्य एवं प्रयोजन के लिए धनराशि दी जा रही है।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-'2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-समग्र शिक्षा अभियान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -यू0ओ0-E-11-418-X-2025-26, दिनांक 06 फरवरी, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन ।
8- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।